

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

आईडी संख्या: UPFS/2025/161604/ALB/ALLAHABAD/3603/CFO

दिनांक: 14-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DR. DEVRAJ SINGH PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **0, BHESKI**

HANDIA, PRAYAGRAJ तहसील - **HANDIA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
DR DEVRAJ SINGH PUBLIC SCHOOL	4	0	14.00 mt.

तथा प्लॉट एरिया **9320.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **DR. DEVRAJ SINGH PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-06-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VIJAY KUMAR SINGH principalddps@gmail.com 7309133556** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **16-06-2025** से **15-06-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : 1. भवन में ढाँचागत परिवर्तन / अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 2. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा। 3. प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन यंत्रों का शोधन कराकर फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। 4. भवन में समय - समय पर मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Rajeev Kumar Pandey)

[CE1C216539CD27F8EC5D8E75C5BA91CD8952485C]

16-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **16-06-2025**
स्थान : **ALLAHABAD**

Valid, 15/06/28 तक